

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1002/2012/जयपुर

अपील संख्या 1003/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

वृत्त-ई, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आर.एन.इण्डस्ट्रीज

जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री विक्रम गोगरा

अभिभाषक

निर्णय दिनांक :- 12.08.2016

.....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

ये दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा विद्वान उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 325/अपील्स-111/10-11/ई व अपील संख्या 34/अपील्स-111/11-12/ई में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.11.2011 के द्वारा अपीलें कर निर्धारण अधिकारी का पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई थी, के विरुद्ध पेश की गई हैं।

अपील संख्या 1002/12 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 73(2) के अन्तर्गत शास्ति रु. 34,713/- आरोपित की। अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा आलोच्य अवधि 2007-08 में रु. 3,84,913/- का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ चाहा गया किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को कर मुक्त माल का भी विक्रेता मानते हुए रु. 2,26,110/- का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ स्वीकृत किया। अपीलार्थी व्यवहारी ने कर रु. 1,98,396/- कम जमा कराया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 59,519/- आरोपित किया है।

अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1988 के तहत पात्रता प्रमाण पत्र संख्या 1/40 द्वारा दिनांक 28.05.2003 से 27.05.2014 तक के लिए 23.45 लाख रिजिड पी वी सी पाई के विक्रय पर स्वीकृत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2008 पारित कर निर्गत कर रु. 7,85,583/- में से आगत कर रु. 3,84,493/- को घटाते हुए संदेय कर रु. 4,01,090/- का निश्चित 70/60 प्रतिशत डेफरमेंट स्कीम का लाभ देते हुए रु. 2,46,438/- स्वीकृत किया जाकर शेष रु. 1,54,652/- की कर देयता कायम की।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 72(2) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 34,713/-, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम रु. 1,58,803/-, कम कर राशि रु. 1,96,396/-, ब्याज रु. 59,519/-, गत वर्ष की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की राशि रु. 19,922/- केरी फारवर्ड नहीं किये जाने तथा डेफरमेन्ट लाभ की गलत गणना के कारण रु. 73,058/- के बिन्दुओं को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित किये जाने पर उन्होंने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को बाद जांच पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिससे क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील संख्या 1003 / 12 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2008-09 में रु. 5,50,121/- का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ चाहा गया किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के गत वर्ष से केरी फारवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम रु. 19,922/- को नहीं करके रु. 5,30,199/- का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी ने कर राशि रु. 89,791/- कम जमा मानकर अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 26,937/- आरोपित किया।

अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1988 के तहत पात्रता प्रमाण पत्र संख्या 1/40 द्वारा दिनांक 28.05.2003 से 27.05.2014 तक के लिए 23.45 लाख रिजिड पी वी सी पाईप के विक्रय पर स्वीकृत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2008 पारित कर निर्गत कर रु. 9,82,135/- में से आगत कर रु. 5,27,895/- को घटाते हुए संदेय कर रु. 4,54,240/- का निश्चित 60/50 प्रतिशत डेफरमेन्ट स्कीम का लाभ देते हुए रु. 2,29,629/- स्वीकृत किया जाकर शेष रु. 2,24,612/- की कर देयता कायम की।

इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी ने कम जमा कर राशि रु. 89,791/-, ब्याज रु. 26,937/-, चालान के सत्यापन के अभाव में रु. 6177/-, गत वर्ष से केरी फारवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम रु. 1,922/- तथा डेफरमेन्ट लाभ की गलत गणना के कारण रु. 72,536/- के बिन्दुओं को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित किये जाने पर उन्होंने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को बाद जांच पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिससे क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को आदेश दिनांक 15.11.2011 को प्रतिप्रेषित किये गये थे। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय


अधिकारी के प्रतिप्रेषण पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.11.2011 की पालना में आलोच्य अवधि क्रमशः 01.04.2007 से 31.03.2008 (2007-08) व 01.04.2008 से 31.03.2009 (2008-09) के कर निर्धारण आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रमशः दिनांक 18.11.2013 को आदेश पारित कर दिये गये हैं। यहां यह भी उल्लेख नहीं है कि प्रतिप्रेषण आदेशों की पालना में पारित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें भी प्रस्तुत की जा चुकी हैं, जिनका निस्तारण भी अपीलीय अधिकारी द्वारा क्रमशः आदेश दिनांक 12.02.2016 व 12.02.2016 के द्वारा किया जा चुका है।

अतः जिन आलोच्य अवधियों के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की ओर से अपीलें प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अस्तित्व में नहीं होने से उन आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलें सारहीन हो गयी हैं।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 15.11.2011 की पालना में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59] के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई दोनों प्रश्नगत अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य